तारीख हुक्म जारी हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या 23/2020

निर्णय दिनांक :– 17.10.2022

उनवानी वाद :

श्रीकिशन पुत्र रामनाथ जाति मीणा उम्र बालिग निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज0

–वादी–

बनाम

तहसीलदार जी देवली जिला टोंक राज0

– प्रतिवादीगण–

उपस्थिति :–
श्री राजेश जैन
अधिवक्ता प्रार्थी
पेराकार सरकार

इकबालिया जवाब
प्रतिवादी संख्या 1

दावा उद्घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खसरा नम्बर 2771 रकबा 0.65 है0 वाके ग्राम थांवला तहसील देवली जिला टोंक मे स्थित है जिस पर वादी काबिज है एवं उपयोग उपभोग कर रहा है। वादी ने अपनी उक्त आराजी भूमि की सिंचाई के लिये बरसो पहले उक्त आराजी भूमि पर अपनी मेहनत एवं स्वयं के खर्चे से 0.01 भूमि से चाह का निर्माण करवाया था जो मोके पर उक्त भूमि पर मोजूद है। उक्त चाह वादी की भूमि की सिंचाई के लिये काम मे आ रहा है तथा चाह वादी की उक्त भूमि की सिंचाई का एकमात्र साधन है। खसरा नम्बर 2771 रकबा 0.65 है0 में से 0.01 है0 को खसरा गिरदावरी में अंकित किया हुआ है तथा उक्त चाह को नक्शा सीट में भी दर्शाया हुआ है जिसमे 0.64 हैं0 भूमि कृषि योग्य रखी गयी है तथा गै0 मु0 चाह के रूप मे 0.01 है0 अंकित किया हुआ है जो वादी के खेत में मौजूद है परन्तु राजस्व रिकार्ड में 0.01 है० गै0 मु0 चाह की खातेदारी का अंकन जमाबंदी मे नही किया गया है जबकि वादी उक्त गै0 मु0 चाह रकबा 0.01 है0 का खातेदार है तथा काबिज है इस कारण वादी के हक में उक्त गै० मु० चाह का बतौर खातेदार के रिकार्ड में अंकन करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। वादी को उक्त चाह पर जबरन अतिकमी मानकर प्रतिवादी

B.G.

बेदखल करना चाहता है जबकि वादी उक्त चाह पर अतिकमी न होकर विधिक रूप से खातेदार है, क्योंकि स्वयं की खाते की भूमि मे बनाया हुआ है तथा उक्त चाह किसी सरकारी भूमि मे नही है परन्तु केवल जमाबंदी मे अंकन न होने से वादी को चाह का अतिक्रमी नही माना जा सकता है। उक्त चाह वादी की स्वयं की खाते की भूमि में होने से वादी इसका अंकन करवाने का हकदार है जिसके लिये यह वाद श्रीमान के न्यायालय में पेश है। बिनाय दावा आज से 5 दिन पूर्व उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी ने वादी को उक्त चाह से बेदखल करने की धमकी दी तब से लगातार रूप जारी है । वाद वर्णित भूमि व चाह श्रीमान के क्षेत्राधिकार के गांव थांवला मे होने से प्रस्तुत वाद का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई।

सरकार द्वारा बिन्दुवार जवाब निम्न प्रकार है।

बिन्दू संख्या 1 वादी की खातेदारी भूमि ग्राम थाँवला के खसरा नं. 2771, रकबा 0.65 है0 भूमि दर्ज रिकार्ड है। बिन्दू संख्या 2 वादी अपने खातेदारी के खसरा न. 2771, रकबा 0.65 है0 में से 0.01 है0 में गैर मुमकिन चाह है। जिसकी खसरा गिरदावरी संलग्न है। बिन्दू संख्या 3 वादी का खसरा गिरदावरी में गैर मुमकिन चाह का इन्द्राज है परन्तु जमाबन्दी में नही है। अतः न्यायालय से संबंधित है। बिन्दू संख्या 4 गैर मुमकिन चाह वादी की खातेदारी भूमि में होने के कारण वादी अतिक्रमी नहीं है। इस प्रकार वादी के स्वयं की खरीदारी में से गैर मुमकिन चाहे न्यायालय के निर्णय अनुसार दर्ज करना उचित प्रतीत होता है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को अपनी बहस में कथन किया।

पेरोकार सरकार बहस के दौरान अनुपस्थित रहे।

पत्रावली का अवलोकन किया। पेरोकार सरकार के जवाब व अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र अनुसार वाद वर्णित आराजी जमाबन्दी सम्वत 2071–74 खाता संख्या 106 के ख. नं. 2771 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। खसरा गिरदावरी ग्राम थांवला में ख. नं. 2771 में 0.65 हे0 में से 0.64 है0 में ज्वार की फसल व 0.01 है0 में चाह दर्शित है। नक्शा ट्रेस दिनांक 18.02.2020 में ख. नं. 2771 में उतर दिशा सीमा के दायीं ओर कोने

पर चाह दर्शित है, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रिकॉर्ड नहीं है। जिसको वादी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करवाना चाहता है। इस हेतु वादी ने वाद पेश किया है। उक्त दस्तावेज से स्पष्ट है कि वादी की खातेदारी भूमि ख. नं. 2771 में चाह दर्शित है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में चाह के रूप में दर्ज नहीं हो पायी। अतः वाके ग्राम थांवला में नक्शा ट्रेस अनुसार ख. नं. 2771 रकबा 0.65 है0 में से 0. 01 है0 को गे. मु. चाह को राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज करे। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद पूर्ति नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी...मुकाम देवली व अलजाम श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक ....

उनवानी वाद :

श्रीकिशन पुत्र रामनाथ जाति मीणा उम्र बालिग निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज0

–वादी–

बनाम

तहसीलदार जी देवली जिला टोंक राज0

– प्रतिवादीगण–

दावा उद्घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज

मुकदमा नं. 23 सन् 2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री राजेश जैन अधिवक्ता वादी मिनजामिन मुद्दई रूबरू इकबालिया जवाब पेरोकार सरकार मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

आदेश

वाके ग्राम थांवला में नक्शा ट्रेस अनुसार ख. नं. 2771 रकबा 0.65 है0 में से 0.01 है0 गे. मु. चाह को राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज करे। ।

निजी..मुवलिक..बाबत् ....खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक .... की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 17 माह 10 सन् 2022 को जारी किया गया।

दस्तख्त ....

मुहर

ओहदा ....उपखण्ड अधिकारी देवली (टोंक)..........

मुद्दई	रू.	पै.	मुद्दायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		

फीस कमिश्नर बाबत् इजरायहुक्मनामा अन्य मिजान			बाबत् इजरायहुक्मनामा अन्य मिजान		

नोट :— इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए